

कार्यालय ज्ञापन

विषय: नदी जोड़ पर कार्यबल के अंतर्गत विधिक पहलुओं पर समूह की संघटना।

दिनांक 15 जून 2016 को आयोजित नदी जोड़ पर कार्यबल की चौथी बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में नदी जोड़ के क्रियान्वयन तथा अन्य संबंधित मुद्दों से संबंधित कानूनी पहलुओं और आवश्यक सक्षम प्रावधानों को देखने के लिए एक समूह का गठन किया जाता है। समूह की संघटना इस प्रकार है:

- | | |
|--|-------|
| 1. श्री ए.डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 2. श्री एम गोपालकृष्णन, पूर्व सदस्य, केंद्रीय जल आयोग | सदस्य |
| 3. श्री विराग गुप्ता, संवैधानिक एवं पर्यावरणीय विधि विशेषज्ञ | सदस्य |
| 4. प्रो.अवधेश पांडेय, जल विधि एवं प्रबंधन विशेषज्ञ, विधिक अध्ययन विभाग चौधरी, चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ | सदस्य |
| 5. श्री ए.बी. पांड्या, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग | सदस्य |

2. संदर्भ की शर्तें:

- i) नदी जोड़ के क्रियान्वयन के लिए विधिक पहलुओं को देखना और आवश्यक प्रावधानों का सुझाव देना।
 - ii) नदी बेसिनों में अधिशेष जल के मुद्दों को हर आयाम से देखना और क्रियान्वयन के विभिन्न प्रकार के सुझाव देना।
 - iii) जल अंतर बेसिन जल अंतरण या अन्य की आयोजना पर अधिकरण के अवार्ड तथा रिपोर्टों का अध्ययन करना
 - iv) उपरोक्त पहलुओं से संबंधित कोई और मुद्दा।
3. जब कभी आवश्यक होगा, समूह अपना कार्य करेगा तथा एक माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।
 4. समूह को सचिवालयी तथा अन्य आवश्यक सहायता राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण उपलब्ध कराएगा।

आर.के.जैन
मुख्य अभियंता (मु.)

प्रति:

नदी जोड़ पर कार्यबल के अंतर्गत समूह के सभी सदस्य।

सूचनार्थ प्रति:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, नदी जोड़ पर कार्यबल, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
2. जे एस (पीपी) के निजी सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. महानिदेशक के निजी सचिव, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली ।
4. मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण) (मु.), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण लखनऊ/हैदराबाद, नई दिल्ली।

कार्यालय जापन

विषय: नदी जोड़ पर कार्यबल में अंतर्गत विधिक समूह का संघटन।

18 जुलाई 2016 के कार्यालय जापन समसंख्यक जो नदी जोड़ के कार्यबल के अंतर्गत विधिक समूह के गठन हेतु जारी किया गया था में आंशिक संशोधन करते हुए श्री ए.डी. मोहिले, पूर्व अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग, समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। कार्यालय जापन की अन्य संघटना तथा संदर्भ की शर्तें पूर्ववत रहेंगी।

आर.के.जैन
मुख्य अभियंता (मु.)

प्रति:

नदी जोड़ पर कार्यबल के अंतर्गत समूह के सभी सदस्य।

सूचनार्थ प्रति:

1. अध्यक्ष के निजी सचिव, नदी जोड़ पर कार्यबल, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली।
2. जे एस (पीपी) के निजी सचिव, जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय श्रम शक्ति भवन रफी मार्ग, नई दिल्ली ।
3. महानिदेशक के निजी सचिव, राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण नई दिल्ली।
4. मुख्य अभियंता (उत्तर/दक्षिण) (मु.), राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण लखनऊ/हैदराबाद, नई दिल्ली।